# न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

**पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या 13/2015 ( उदयपुर आर्डर )**

1. श्री रघुनाथसिंह पिता श्री प्रतापसिंह राजपूत निवासी आजरोली खास तहसील झाड़ोल (फ.) जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

**बनाम**

1. श्री फतहसिंह पिता मोखमसिंह राजपूत निवासी आजरोली खास तहसील झाड़ाल (फ.) जिला उदयपुर (राज0)
2. स्रकार जरिये तहसीलदार झाड़ोल जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर दिनांक 29–03–2006 प्रकरण संख्या 07/2002(आवंटन निरस्त)

———

उपस्थित :–1– .श्री लोकेश गहलोत अभिभाषक अपीलान्ट्स

2– श्री मनीष शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो. सांख्या–1

3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2

————/————

**आदेश** **दिनांक 06–11–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 द्वारा विपक्षी अपीलान्ट व सरकार के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत नियम–14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम–1970 के तहत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट विपक्षी को ग्राम आजरोली की आराजी नंबर 607 से 610 कूल किता–4 का आवंटन गलत तरीके से किया गया है। उक्त आवंटन निरस्त किया जाय।

अपीलान्ट विपक्षी द्वारा खण्डन का जवाब पेश किया। अधिनस्थ न्यायालय पे मौका रिपोर्ट भी तलब की। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष

को सुनने के बाद उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में अपने निर्णय दिनांक 29–6–2006 से अपीलान्ट विपक्षी आवंटी को किये गये आवंटन में से आराजी संख्या 807, 608 व 609 का आवंटन बहाल रखा तथा आराजी संख्या 810 रकबा .08 हैक्टर का आवंटन निरस्त कर दिया।

अधिनस्थन्यायालय के निर्णय दिनांक 29–3–2006 की अपील अपीलान्ट विपक्षी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 22–5–2015 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश करते हुए निवेदन किया कि उसे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 18–5–2015 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा मौके पर उपस्थित होकर नपती करने से हुआ। उसके अधिवक्ता द्वारा उसे जानकारी नहीं दी गई। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। उपरोक्त ओदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 द्वारा देते हुए निवेदन किया कि अपील अवधि बाधित है। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर उभयपक्ष व अधिवक्ताओं की उपस्थिति में निर्णय पारित किया है तथा निर्णय दिनांक से ही अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी है। 9 वर्ष की अवधि के विलम्ब को कण्डोन किये जाने का कोई आधार नहीं है।

प्रकरण मं रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 की और से असधिवक्त श्री मनीष शर्मा ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 सरकार की औश्र से राजकीय अधिवक्त उपस्थित हुए। जाब्ता मयाद के अपीलान्ट के आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 25–3–2006 को सुनकर निर्णय दिनांक 29–3–2006 को उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में किया गया है। दिनांक 29–3–2006 के आदेश की अपील की विहित कालावधि 28–5–2006 होती है। जबकि यह अपील दिनांक 22–5–2015 को यानि करीब 9 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। जिसके लिए जो कारण दिये गये है व न तो उचित है न ही पर्याप्त।

अपीलान्ट द्वारा प्रकरण मं निम्नानुसार न्यायिक नजीरे पेश की है। :–

1. R R T 2018 (1) Page 299 :– यह व्यथित पक्षकार से संबंधित है जो गुणावगुण से संबंधित है।

2. R R T 2016 (2) Page 884, 756 (H C) :– यह भी आवंटन निरस्तीकरण से एवं गुणावगुण से संबंधित है।
3. R R T 2017 (2) Page 1373, 1255 :– यह भी आवंटन के गुणावगुण व अतिक्रमी से संबंधित है।
4. R R T 2011 (1) Page 270 :– यह भी आवंटन के गुणावगुण व अतिक्रमी से संबंधित है।
5. R R T 2006 (2) Page 1171 :– यह भी आवंटन के गुणावगुण व अतिक्रमी से संबंधित है।
6. R R T 2016 (2) Page 971 :– यह इस बिन्दू पर न्यायिक नजीर है कि सिलिंग प्रकरण में हुआ विलम्ब किसी को दण्डित नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रकरण सिलिंग से संबंधित है तथा इस प्रकरण में विचाराधीन अपील जितना विलम्ब नहीं हुआ है, बल्कि 2 वर्ष से ज्यादा का विलम्ब नहीं रहा है। तद्नुसार यह नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती।
7. R R D 2011 Page 11 (H C) :– इस प्रकरण में 14 माह के विलम्ब को कण्डोन किया गया है, यहां विलम्ब 9 वर्ष का है।
8. R R D 1989 (1) Page 45 :– यह वाईड आर्डर को किसी भी समय चुनौति दिये जाने से संबंधित है, यहां वोईड आर्डर की अपील का विचारण नहीं हो रहा है।

प्रकरण में 9 वर्ष के विलम्ब को कण्डोन किये जाने के लिए कोई उचित व पर्याप्त आधार नहीं है। अतएव अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06–11–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**( एल.एन.मंत्री )**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**